फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 149/2024

उनवानः— अरूण शर्मा बनाम उम्मेद सिंह वगै.

पत्रावली आज दिनांक 13.05.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा हेतु पेश किया गया है जिसका निस्तारण तहसीलदार सांगनेर से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार किया जाना है अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। वादग्रस्त आराजीयात के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नही समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय